आरबीई सं. 24/2023

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड) **(RAILWAY BOARD)**

सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/02/5 **नई दिल्ली, दिनांक 03.02.2023**

महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: विभिन्न वेतन आयोगों के समय में सेवानिवृत्त हुए रेल सेवकों की सेवोत्तर मानार्थ पास (पीआरसीपी) पात्रता के युक्तिकरण के संबंध में।

संदर्भ: (i) मध्य रेलवे का दिनांक 02.05.2022 का पत्र सं. पी/सीआर/एचक्यू/पास/494.
(ii) बोर्ड का दिनांक 28.10.2022 का पत्र सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/08/1.

कुछ सेवानिवृत्त रेल सेवकों से अनुरोध प्राप्त हुए थे जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 01.01.2016 के बाद उनके समान "स्टेटस एवं पे मैट्रिक्स में पे लेवल (पीएलपीएम)" पर सेवानिवृत्त हुए उनके जूनियर उनकी तुलना में उच्चतर यात्रा पात्रता का लाभ उठा रहे हैं। मध्य रेलवे ने भी उक्त संदर्भ (i) के तहत उल्लिखित अपने पत्र के द्वारा विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोग के समय प्रचलित अलग-अलग पीआरसीपी पात्रताओं के कारण सेवानिवृत्त रेल सेवकों को ई-पास मॉड्यूल पर स्विच ओवर करने में आ रही कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था।

2. रेलवे बोर्ड के वेतन आयोग निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। 2016 से पूर्व और 2016 के बाद सेवानिवृत्त रेल सेवकों की पीआरसीपी पात्रता में एकरूपता और पीआरसीपी सुविधा के संचालन में सरलता लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि केवल "स्टेटस सह पीएलपीएम" पीआरसीपी पात्रता के लिए एकसमान मानदंड होगा। तदनुसार, जहां कहीं भी पीआरसीपी पात्रता उक्त संदर्भ (ii) में उल्लिखित बोर्ड के पत्र में निर्धारित पात्रता के अनुरूप नहीं है, पास जारीकर्ता प्राधिकारी इसे पीपीओ/संशोधित पीपीओ में इंगित "स्टेटस सह पीएलपीएम/नोशनल पीएलपीएम" के अनुरूप बनाने के लिए पुनः निर्धारित करेंगे। इस अंतराल में मृत सेवानिवृत्त रेल सेवकों के मामले में विधवा पास पात्रता तदनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी।

3. बहरहाल, यदि रेल सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय प्रचलित नियमों के अनुसार पीआरसीपी/विधवा पास पात्रता उक्त संदर्भ (ii) के तहत उल्लिखित बोर्ड के पत्र में निर्धारित पात्रता की तुलना में अधिक है, तो उच्चतर पात्रता जारी रहेगी।

4. पहले से जारी हो चुके पास जिनकी वैद्यता अभी शेष है की पात्रता में परिवर्तन की अनुमति नहीं है और संशोधित पात्रता इसके बाद से जारी होने वाले पासों पर ही प्रभावी होगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन

(वी. मुरलीधरन)
उपनिदेशक, स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड
ई-मेल : ddew1@rb.railnet.gov.in
फोन : 011-23047203

सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/02/5 नई दिल्ली, दिनांक 03.02.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. कार्यपालक निदेशक (टी एंड एमपीपी)/रेलवे बोर्ड को एचआरएमएस के ई-पास/पीटीओ मॉड्यूल के सन्दर्भ में।
2. संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड।
3. कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड – सभी संबंधितों के सूचनार्थ रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. मानक सूची के अनुसार।

सूचना हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा नं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी अधिकारी संघ, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी महासंघ, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ. सं.)
रेलवे बोर्ड

**तल सं./Floor No.5, कमरा नं./Room No.538, रेल भवन/Rail Bhawan,
रायसीना रोड/Raisina Road, नई दिल्ली/New Delhi -110001**